सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली-110001

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAWAN, NEW DELHI-110001
FAX : 011-23364197
E-mail : mplads@nic.in

सं. सी-23/2011-एमपीलैड्स (भाग-II)

Dated.....

दिनांक: 17.04.2013

सेवा में,

1. आयुक्त,
   कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम

2. सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषय: पंजीकृत न्यासों/सोसाइटियों द्वारा एमपीलैड्स के तहत सामुदायिक बुनियादी सुविधाओं और लोकोपयोगी भवनों के निमार्ण का कार्य ।

महोदय,

बेईमान संगठनों को एमपीलैड्स निधियों से धनराशि जारी करने पर रोक

1. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति ने किसी भी बेईमान संगठन को एमपीलैड्स से धनराशि जारी करने पर रोक लगाने के लिए समुचित निगरानी तंत्र बनाने के दायित्व की ओर ध्यान आकर्षित किया है ।

2. कार्यस्थल पर एमपीलैड योजना का कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण/राज्य सरकार द्वारा किया जाता है । बेईमान संगठनों की छंटनी करने का दायित्व प्रमुखतया जिला प्राधिकारी का है ।

3. किसी भी बेईमान संगठन को एमपीलैड्स से धनराशि जारी करने पर रोक लगाने के लिए एक समुचित निगरानी तंत्र बनाने की आवश्यकता है ।

4. आपका ध्यान एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 3.21 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जिला प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की गई है कि वे एमपीलैड्स निधियों के वितरण से पहले पंजीकृत न्यासों/सोसाइटियों की प्रतिष्ठा, सदाशयता और पात्रता का पता लगाएंगे ।

5. आपका ध्यान पैरा 3.21 मे किए गए निमनलिखित प्रावधान की ओर विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है: "ऐसी सोसाइटी/न्यास मान्यता प्राप्त है या नहीं, संबंधित जिला प्राधिकारी समाज सेवा के क्षेत्र में इसके निष्पादन, कल्याणकारी कार्यकलाप, इसके कार्यकलापों का उद्देश्य लाभ अर्जन न होना, इसके कार्यकलापों में पारदर्शिता और मजबूत वित्तीय स्थिति जैसे प्रासंगिक कारकों के आधार पर इस बारे में निर्णय लेगा ।"

6. इसलिए, एमपीलैड्स निधियों के वितरण से पहले, जिला प्राधिकारी प्रस्तावित न्यास/सोसाइटी की सदाशयता और पात्रता सुनिश्चित करने का अपना दायित्व विधिवत निभाएगा ।

अनाथों, वृद्ध/वयोवृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं, कुष्ठ रोगियों और दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए लोकोपकारी तथा आश्रय गृहों को रियायत ।

7. वर्तमान में, एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार एक सांसद न्यासों/सोसाइटियों के लिए एक वर्ष में अधिक से अधिक एक करोड़ रुपये तक की राशि की सिफारिश कर सकता है और यह इस शर्त पर निर्भर करेगा कि किसी एक न्यास/सोसाइटी को अपने पूरे कार्यकाल मे अधिक से अधिक 50 लाख रुपये तक की राशि मिलेगी । यह देखा गया है कि अनाथालय, वृद्धाश्रम, विधवाश्रम, कुष्ठाश्रम और दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए आश्रम चलाने वाली सोसाइटियां मानवता के सर्वाधिक वंचित वर्ग की सेवा कर रही हैं; उनके लिए अपने पूरे कार्यकाल में केवल 50 लाख रुपये की पात्रता का प्रतिबंध न तो आवश्यक है और ना ही ऐसा होना चाहिए । ऐसे आश्रमों के लिए, इस शर्त में रियायत दी जानी चाहिए । तदनुसार, एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में तत्काल प्रभाव से पैरा 3.21.5 के रूप में निम्नलिखित नया प्रावधान जोड़ा गया है:

"**पैरा 3.21.5: सर्वाधिक वंचित वर्ग के लिए रियायती प्रावधान:** अनाथ लोगों के लिए आवास गृह (अनाथालय/यतीमखना), वृद्ध/वयोवृद्ध लोगों के लिए लोकोपकारी आश्रम, विधवाओं के लिए लोकोपकारी आश्रम, कुष्ठ रोगियों के लिए लोकोपकारी आश्रम/कॉलोनी, दृष्टिहीनों के लिए लोकोपकारी आश्रम, स्पास्टिक/ मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए लोकोपकारी आश्रम अथवा मूक एवं बधिर बच्चों के लिए लोकोपकारी आश्रम चलाने वाले न्यासों/सोसाइटियों को उनके पूरे कार्यकाल में एमपीलैड्स निधियों से 50 लाख रु. तक की राशि पाने के प्रतिबंध में रियायत दे कर इसे 1 करोड़ रु. कर दिया गया है । इस रियायती प्रावधान के अंतर्गत एमपीलैड्स से प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि को केवल उपरोक्त आश्रमों/कॉलोनियों में और उपरोक्त आश्रमों/कॉलोनियों के लिए (और न्यास/सोसाइटी के किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं) ही उपयोग में लाया जाएगा । और इन निधियों को केवल दिशानिर्देशों के पैरा 3.21 में दिए गए प्रयोजनों के लिए ही उपयोग किया जाएगा ।

8. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

भवदीय,

आर. राजेश

(आर. राजेश)

निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि :

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा) ।
2. एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभागों के सचिव (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) ।
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि इसे एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करें ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ: एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली को उनके दिनांक 11.07.2012 के पत्र सं. आरएस/12(xxii)/2011-एमपीलैड्स के संदर्भ में ।